

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी-एफ/4109/राराशैअप्रसं/उदय/2019 दिनांक : 04.12.2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.),
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त

विषय : शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 01 से 05 तक के विद्यार्थियों की कक्षोन्नति बाबत।

प्रसंग : प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक : प.5 (1) प्राशि / आयो / 2019 दिनांक 26.11.20 व निदेशक एस. सी.ई.आर.टी., उदयपुर का पत्रांक : राराशैअप्रप-उदय/ प्रभाग-2/ मूल्यांकन / फा-70/2020-20 दिनांक : 26.11.20


उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत पत्र के क्रम में लेख है कि शैक्षिक सत्र : 2020-21 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते विद्यार्थियों में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया की निरन्तरता को बनाये रखते हुए कक्षा 01 से 05 तक के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम संक्षिप्त करने के लिए तथा विद्यार्थियों की कक्षोन्नति हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया के तहत मूल्यांकन हेतु राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर द्वारा तैयार दिशा निर्देश (प्रति संलग्न) एवं संक्षिप्तकृत पाठ्यक्रम आधारित कार्य योजना प्रेषित की जा रही है।

इस संक्षिप्तकृत 52 प्रतिशत निर्धारित पाठ्यक्रम का अभिभावकों व छात्र-छात्राओं में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि कोई भी विद्यार्थी इससे वंचित न रहे। समस्त शिक्षक उपलब्ध अभ्यास पुस्तिका के आधार पर कार्य जारी रखे। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरते।

वर्तमान सत्र 2020-21 में विद्यार्थियों के मूल्यांकन का आधार वार्षिक योगात्मक आकलन रहेगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।


www.rajteachers.com


(सौरभ स्वामी)
I.A.S.

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं
पं. राज (प्रा. शिक्षा) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संशोधित पाठ्यक्रम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करवावे।
4. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
5. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त।
6. सिस्टम एनॉलिस्ट माध्यमिक शिक्षा, को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली


निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं
पं. राज (प्रा. शिक्षा) विभाग
राजस्थान, बीकानेर